3/7/23 व्यवस्थी अभिभावक पुत्री के विवाह
का विवाह है तत्काल होकर पश्चात हुई
अभिलेखा पुत्री स्वयं घोषित पुत्रियां
होवेंगे। होवे होकर पुत्रियों का
कार निवेदन किया गया कि प्रकरण में
आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण
का मूल स्तर पर विड्राल के रूप में
किया जावे। व्यवस्थी का अभिलेख का
मनन किया। पुत्री स्वयं अपना
पक्ष में आगे कार्यवाही नहीं
चाहती है पुत्री। अभिलेख
का निवेदन स्वीकार किया जाता है
पुत्री का प्रकरण अन्तर्गत धारा
125 के विड्राल के रूप में किया जाता
है। व्यवस्थी की गणना निर्धारित इन्हें की
जाने बाद आवश्यक कार्यवाही अमल
रूपांतर लेकी जावे। निर्णय खुले न्यायालय
में लिखाया जाकर सुनाया गया।

3/7/23
(नीता वसीठा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
3/07/2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2023.08.01 16:29:44 IST
Reason: SelfAttested